बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC- 35

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 15/01/2019

विषय – सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज–मशरक रेल लाईन पर NH-101 छपरा–सलेमपुर पथ बडकागाँव–बसंतपुर के बीच प्रस्तावित ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.361 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज–मशरक रेल लाईन पर NH-101 छपरा–सलेमपुर पथ बडकागाँव–बसंतपुर के बीच प्रस्तावित ROB निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.361 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), मुख्यालय, गोरखपुर का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज के पत्रांक 1819 दिनांक 15.12.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथांश पर ROB एवं पहुँच पथ निर्माण में 1.361 हे० वन भूमि एवं 117 वृक्षों के पातन का अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं वन संरक्षक, सीवान द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

क्रम सं0	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.00-60 CM तक	60 CM से अधिक
1	37	80

अपयोजित होने वाली वन भूमि के दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.361 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 2.722 हे० अर्थात् 3.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, रोहतास के सासाराम प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुशडीहरा PF को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है से संबंधित अभ्युिक्ति प्राक्कलन में अंकित है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त प्राक्कलन एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.361 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 8,51,986/– (रूपये आठ लाख एकावन हजार नौ सौ छियासी) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 1.361 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडलन्तर्गत 3.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि कुशडीहरा सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 19,35,678/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1028/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. 60 से०मी० से कम परिधि के पौधों को पातन नहीं किया जायेगा, इन पौधों को वन प्रमंडल पदाधिकारी के निदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-35 दिनांक– 15/01/2019

प्रतिलिपि – उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण), मुख्यालय, गोरखपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/19

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),